1	2	3
8	Airlines Allied Services Ltd.	Headquarters
9	National Airport Authority of India	Headquarters
10	National Small Industries Corporation Ltd.	Regional Office
11	National Fertilizers Corporation Ltd.	Headquarters
12	Fertilizers Corporation of India	Headquarters
13	Hindustan Fertilizers Corporation Ltd.	Headquarters
14	Pyritis, phosphates and Chemicals Ltd.	Headquarters
15	Paradeep phosphates Ltd.	Headquarters
16	Indo-Burma Petroleum Co. Ltd. (Chemical Div.)	Headquatrers
17	National Hydro-Electric Power Corp.	Headquarters
18	National Textiles Corporation (Delhi) Punjab and Rajasthan) Ltd.	Regional Units
19	Minerals & Metals Trading Corporation Ltd.	Headquarters
20	State Trading Corporation of India Ltd.	Headquarters
21	National Thermal Power Corporation Ltd.	Headquarters
22	Rural Electrification Ltd.	Headquarters
23	National Project Construction Corporation, Ltd.	Headquarters
24	Bharat Heavy Electricals Ltd.	Headquarters
25	Cement Corporation of India	Headquarters

4320. [Transferred to the 26th March, 1992.]

राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा द्वारा दिया गया ज्ञापन

4321. श्री दयानन्द सहाय :

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

श्री दिग्विजय सिंह :

श्री मुरलीधर चन्द्रकांत भंडारे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय आवास नीति के संबंध में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुआ है जैसाकि 2 जनवरी, 1992 "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" राष्ट्रीय सहारा" आदि समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) यदि इस संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) मोर्चे ने भारत के बेघरों के लिए सस्ते आश्रय के प्रावधान और झुग्गी तथा मलिनबस्ती निवासियों के लिए आश्रय मुहैया करने के उद्देश्य से दिल्ली के विकास की मांग की है।

(ग) निर्धन वर्गों को आवास सुविधाओं एवं मूलभूत सुख-सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न उपायों पर राष्ट्रीय आवास नीति प्रारूप में विचार किया गया है। दिल्ली में, पात्र झग्गी-समूहों और मलिनबस्ती निवासियों को मल-भूत सुख सुविधाएं एवं आश्रय सहायता प्रदान करने की योजनाएं निष्पादनाधीन हैं।

नानासिह धर्मशाला, दिल्ली को अवैध रूप से मार्किट में बदला जाना

322. **श्री दिग्विजय सिंह :**
श्री दयानन्द सहाय :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तेलीवाड़ा स्थित नानूसिह धर्मशाला को अवैध रूप से मार्किट में बदला जा रहा है जैसाकि 5 फरवरी 1992 के समाचार मेल में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध डी०एम०सी० अधिनियम 1957 की धारा 343/344 के अधीन आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Allotment of Quarters to the Lok Sabha Rajya Sabha Pool

4323. SHRI J. P. JAVALI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of residential flats/quarters released for Lok Sabha and Rajya Sabha Pool Yearwise, typewise and areawise for allotment to the employees of these two Secretariats during th last three years;

(b) whethere it is also a fact that Parliamentary Pay Committee has recommended that 100 per cent satisfaction should be achieved within ten years, i.e. upto 1984, if so, what action Government have taken to achieve this; and

(b) whether Government propose to release more type I, II, III, IV, V and VI flats to the Parliament Secretariats, if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The typewise details of quarters available with the Rajya Sabha and Lok Sabha Secretariat Pools are given in the attached statements. The details of yearwise and areawise allotment of quarters are not being maintained.

(b) and (c) A comperative statement of percentage of satisfaction in Delhi in the General Pool and Lok Sabha/Rajya Sabha Pools is attached. (*See* Appendix CLXI, Annexure No. 95). The percentage of satisfaction in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats Pools compares favourably against the General Pool. The achievement of 100 per cent satisfaction for the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat Pools